

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 1985-111/अलेसे-11/6328-6331 दिनांक:- 18/07/2014

आदेश संख्या 53/2014-15


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-1/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने अधिनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 31.12.2009 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 5400/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार सर्व श्री	मैरिट/ बैच	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	रामानुज मालानी	DGS-1985	17.01.1966	03.12.1986	03.12.2013	
02.	प्रहलाद राय डाड	DGS-1987	10.04.1960	31.03.1987	31.03.2014	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।


उपरोक्त लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 1985-111/अलेसे-11/6328-6331 दिनांक:- 18/07/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.....
- 2 श्री..... लेखाकार कार्यालय.....
- 3 निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)